[29/7/2025]

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 761]

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश

विषय : मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में असुरक्षित बालिकाओं/महिलाओं को लक्ष्य बनाकर उनका शोषण करने एवं भय/दबावपूर्वक धर्मांतरण कराने की घटनाओं की जांच हेतु विशेष जांच दल (SIT) का गठन ।

मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में ऐसी आपराधिक गतिविधियों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें सामाजिक रूप से असुरक्षित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं/ महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से प्रेमजाल, धोखे, धमकी, या अन्य प्रलोभनों के माध्यम से लक्ष्य बनाकर मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक शोषण किया गया है और इन घटनाओं में पीड़ितों का कथित रूप से भय, दबाव या धोखे के आधार पर धर्मांतरण कराया गया है।

ऐसी घटनाएँ न केवल आपराधिक प्रकृति की हैं, अपितु महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समाज में शांति व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

तदनुसार, निम्नानुसार एक विशेष जाँच दल (SIT) गठित किया जाता है, जो इन जिलों से संबंधित घटनाओं की समग्र जांच करेगा :

1. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (देहात) जोन, भोपाल	–	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), नगरीय पुलिस भोपाल	–	सदस्य
3. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा शाखा, पु0मु0, भोपाल	–	सदस्य
4. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु0मु0, भोपाल	–	सदस्य
5. पुलिस अधीक्षक, राज्य सायबर सेल, भोपाल	–	सदस्य

- आवश्यकतानुसार SIT के अध्यक्ष अन्य अधिकारी/कर्मचारी SIT में समाहित कर सकेंगे।

कार्यादेश (Terms of Reference) :

- संबंधित जिलों में हुई ऐसी घटनाओं की पहचान एवं विस्तृत जाँच करना, जिनमें बालिकाओं/महिलाओं को बहलाकर, धमकाकर अथवा प्रलोभन देकर धर्मांतरण हेतु विवश किया गया हो।
- घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों, संगठनों या गिरोहों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- किसी अंतरराज्यीय या विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की जाँच करना।
- साइबर एवं डिजिटल माध्यमों का विश्लेषण कर साक्ष्य एकत्र करना।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय एवं सिफारिशें प्रस्तुत करना।

..2

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, पुलिस महानिरीक्षक जोन, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाइयाँ, विशेष शाखा तथा अन्य संबद्ध एजेंसियाँ **SIT** को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

पुलिस मुख्यालय भोपाल स्तर पर महिला सुरक्षा शाखा द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

4/5/25

(कैलाश मकवाना)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

क्रमांक/पु.मु./म.सु.शा./वि.म.नि./निस/ 129 /2025 दिनांक 04/05/2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. अपर मुख्य सचिव (गृह), म.प्र.शासन, मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव (महिला एवं बाल विकास), म.प्र.शासन, मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, म0प्र0।
4. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल) म0प्र0।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय भोपाल

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"ब"

क्र.	जिला	थाना	अप. क्र.	धारा	कुल आरोपी की संख्या	गिरफ्तार आरोपियोकी संख्या	गिरफ्तारी हेतु शेष / फरार आरोपियो की संख्या	विवेचनाधीन	खात्मा खारजी	चालान	न्यायालय लंबित	रिमार्क
1	भोपाल	जहांगीराबाद	107/25	धारा- 64,64(2)(एम) , 61(2),296,115(2),बीएनएस एवं 3/5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021,66(e) , 67, आईटीएक्ट	4	4	-	-	-	160/25 दि. 04/07/25	न्यायालय पेंडिंग	
2		बागसेवनिया	254/25	धारा- 137(2),64,64(2)(एम),115(2),351(3), 61(2) बीएनएस एवं 5(एल)/6 पॉक्सों एक्ट एवं 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधि0 2021	2	2	-	-	-	230/25 दि.11.06.25	न्यायालय पेंडिंग	
3		अशोका गार्डन	184/25	धारा-115(2) ,61(2),64 बीएनएस , 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, 67,67(ए) आईटी एक्ट इजाफा धारा 296 बीएनएस	6	5	1	-	-	147/25 दि 19/06/25	न्यायालय पेडिग	
4		अशोका गार्डन	196/25	धारा-376,376डी,342,506 भादवि 3/5 म. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 इजाफा धारा 66(e), 67, 67(a) आईटी एक्ट , 61(2) बीएनएस	3	3	-	-	-	175/25 दि. 01/07/25	न्यायालय पेंडिग	
5		ऐशबाग	167/25	धारा-74 बीएनएस 3/5 म. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम इजाफा धारा 137(2), 64,64(2m) 115(2), 351(1),बीएनएस	1	1	-	-	-	157/25 दि. 02/07/25	न्यायालय पेंडिंग	
6		बैरागढ	106/25	धारा-137(2),3(5),64(2) एम बीएनएस 5L,6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 इजाफा धारा 61(2), 351(2), 65(1), 49 बीएनएस , 16/17 आई टी एक्ट , 77 जेजे एक्ट , 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम	5	5	-	-	-	113/25 दि. 19/06/25	न्यायालय पेंडिंग	
7	उज्जैन	घट्टिया	158/25	धारा-67,सूचना प्रौद्‌दौगिकी संशोधन अधि. 2000, 3/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, 3(5) ,64 बीएनएस इजाफा धारा 35(2), 77,49,61(2),137(2),बीएनएस 17 पाक्सो एक्ट 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम	8	8	-	1	-	-	-	प्रकरण विवेचना मे है।
8	इंदौर	अन्नपूर्णा	191/25	धारा-323,324,344,354,376, 376(2)n,376(D),377,506 भादवि , 5g v/6,5l/ 6,लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021	3	3	-	1	-		-	प्रकरण विवेचना मे है।

सहायक अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner